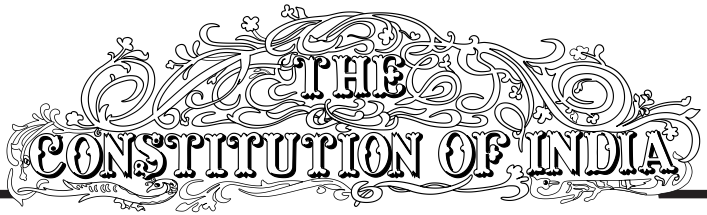

भारत के हम लोग

संविधान के पक्ष में खड़े है #ScrapCAB2019 #NoNRC

हम भारत के लोग हमारी नागरिकता पर सवाल उठाने के कदम का विरोध करते हैं। हम मानते है कि यह धार्मिक आधार पर भारत को विभाजित करने का एक प्रयास है। हमारी नागरिकता हमें कानून और संविधान द्वारा प्रदान की गई है और हम अपनी अंतिम सांस तक इसका बचाव करेंगे।

भारतीय राष्ट्रवाद और नागरिकता दोनों के संवैधानिक आधार पर मौलिक रूप से हमला करने और उसे फिर से परिभाषित करने का स्पष्ट राजनीतिक प्रयास पिछले छह वर्षों से हो रहा हैं। हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 और जल्दबाजी से, विस्तृत बहस के बिना लागू किया गया भारत–स्तरीय एनपीआर–नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) की प्रक्रिया, इसी प्रयास का हिस्सा है। असम के लोग दशकों से अपनी नागरिकता को लेकर इस हमले से संघर्ष कर रहे हैं।

सरकार एक कानून (CAB/CAA 2019) का उपयोग कर के भारतीयों के एक समूह को आश्वस्त कर रहीं है की वह असम एनआरसी नागरिकता के दायरे के बाहर निकालने से "बचाये" जायेंगे! स्पष्ट रूप से एक दुसरा ही भारतीय समूह – भारत के मुसलमान – निशाने पर है। लेकिन एक बार यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद, इस के आघात और परेशानी से कोई भी नहीं बचेंगे। भारत के घुमंतू मजदूर, छोटे किसान, आदिवासी और जंगल निवासी, दलित–बहुजन समुदाय के लोग, यह सभी असंविधानिक प्रक्रिया से पीडित होंगे। विभिन्न कारणों से, जैसे विस्थापन (विकास परियोजनाओं के कारण), मानव निर्मित आपदा (जैसे दंगे, मानव संहार), प्राकृतिक आपदा (जैसे बाढ़, आग, भूकंप आदि) इनसे झुंझ रहे कई

लोगों के पास जन्म या घर/जमीन से जुड़े दस्तावेज न होने के कारण वे अपनी नागरिकता साबित नही कर पायेंगे।

हमे तुरंत #Scrap CAB/CAA 2019 #NoNRC की मांग करनी चाहिए!

CAB/CAA 2019 क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत अधिनियमित 'नागरिकता अधिनियम, 1955' जन्म, प्राकृतिककरण, पंजीकरण और भूमि–अर्जन के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। 1950–1987 तक जो व्यक्ति यहाँ जन्म लेते थे वह अपने आप में भारतीय नागरिकता के हकदार थे; 1987 के बाद, उसके जन्म के अलावा माता–पिता में से एक का भारतीय पैदा होना जरूरी था; 2004 के बाद, माता–पिता से एक यहाँ जन्म लेने के अलावा, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना जरूरी था।

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019, (CAB/CAA 2019) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इन इस्लामिक देशों से 'सताए गए अल्पसंख्यकों' को शरण देने और नागरिकता के लिए अनुरोध करने का वादा करता है, जो 2014 के पहले भारत पहुंचे थे। इन तीन देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को विशेषाधिकार देकर यह संशोधन मुसलमानों को नागरिकता के दायरे से बाहर निकालने के अलग कर रहा है। उदाहरण के लिए, इस संशोधन में ना तो अहमदिया या सूफी का उल्लेख है ना ही राजनीतिक असहमति पाकिस्तान में सताए गए व्यक्ति। राजनीतिक असंतोष या संभव शरण चाहने वाले, जैसे म्यांमार के रोहिंग्या या श्रीलंका से तमिल, को भी इस में कोई स्थान नहीं दिया है। पहली बार कुछ धर्मों के लोगों को न केवल विशेषाधिकार देने का वैधानिक प्रयास किया गया है, बल्कि एक ही समय में दूसरे, मुसलमानों को दूसरे दर्जे के स्थान पर धकेल दिया गया है। सीएबी 2019, संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और यह अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन है जो भारतीय राज्य द्वारा समानता तथा कानून के सामने समानता का अधिकार और गैर–भेदभावपूर्ण उपचार की आश्वस्ति देता है।

सरकार कुछ भी कहें, लेकिन हिंदी, मराठी, गुजराती या तमिल बोलने वाले हिंदुओं को CAB/CAA 2019 के तहत नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती हैं या नहीं की जायेंगी, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से पलायन कर चुके हैं इसका उचित कारण वे क्या दे पायेंगे?

असम में एनआरसी

NRC एक दस्तावेज है जो 1951 में असम में उस वर्ष की आम जनगणना के आधार पर तैयार किया गया था। दशकों तक असम के भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक "बाहरी", "विदेशी", "और अवैध प्रवासियों" के नाम से जान जाने के खतरे में रहें हैं। असम में 'बाहरी लोगों की' समस्या सौ साल से अधिक पुरानी है। अंग्रेजों द्वारा असम में वनों को काटने और जमीन पर खेती करने के लिए गरीब बंगाली मजदूरों को लाया गया तब से यह समस्या शुरू हुई। अंग्रेजों ने 'विभाजन और शासन' की अपनी नीति के तहत असम में विभाजन और हिंसा को बढ़ावा दिया। इसके कारण बाहरी लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन आंदोलन तथा व्यापक हिंसा और दंगे हुए। समानांतर इनकी परिणिति विदेशियों का पता लगाने के लिए अक्सर आधिकारिक प्रक्रियाओं के रूप में हुई है।

वर्षों की हिंसा में हजारों लोग मारे गए, जिसके बाद 1985 के असम समझौते ने नागरिकों के रजिस्टर को तैयार करने की और एनआरसी को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू की। इस समझौते को 'कौन भारतीय है और कौन बाहरी' ये सवाल हमेशा के लिए खत्म करके असम में शांति लाने वाले दस्तावेज के रूप में माना गया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, एनआरसी शायद एकमात्र ऐसी प्रक्रिया थी, जिसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ था। इसमें शामिल सभी हितधारकों – छात्रों, यूनियनों, नागरिकों के समूहों और राजनीतिक दलों – के सहयोग से किन दस्तावेजों का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा सहित छत्ब के सभी तौर–तरीके तय किए गये।

और फिर भी, अंतिम NRC ने सभी को दुखी कर दिया है। यह प्रक्रिया "निष्पक्ष और समावेशी" न होकर, असम के लोगों के लिए दर्दनाक साबित हुई है। इस सूची को पूरा करने में पाँच साल लगे, लागत लगभग रु. 1220 करोड़ है और 31 अगस्त 2019 को जारी अंतिम सूची में 19 लाख लोग बहिष्कृत किये है। इससे पहले, जिन 3.2 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया, उनमेसे पहले 1.2 करोड़ (12 मिलियन) और उसके बाद 44 लाख (4.4 मिलियन) को बाहर रखा गया। विभिन्न हितधारकों के साथ तैयार किए गए कार्यप्रणाली के बावजूद, जैसे ही राजनीतिक हवाएं बदलीं, इस प्रक्रिया में फेरबदल किया गया ताकि जिन दस्तावेजों पर सहमति बनी थी वे अस्वीकृत साबित होते रहे। जिसके कारण

आज सैकड़ों हजारों भारतीय, बंगाली हिंदू, गोरखा, हिंदी भाषी लोग, राजबंशी, मुसलमान बहिष्कार का सामना कर रहे हैं!

'सिटीझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस' (cjp-org-in) असम में पिछले दो सालों से स्वेच्छापूर्ण कार्यकर्ताओं के नेतृत्व से चलने वाले आंदोलन में शामिल रहा है, जहां हमने 10 लाख से अधिक एन आर सी फॉर्म भरने में लोगों की मदद की है, उन्हें नजरबंदी कैम्पों से मुक्त किया, खुदकुशी के खिलाफ काउंसलिंग की और सर्वोच्च न्यायालय में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किए। इस अमूल्य क्षेत्र अनुभव के उपयोग से हम अब छत्व के मुद्दे पर सूचना सामग्री तैयार करके प्रशिक्षणों का आयोजन करनेवाले है।

अखिल भारतीय NPR & NRC (राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी, राष्ट्रीय नागरिक पंजी)

एनपीआर–एनआरसी का विरोध करने की आवश्यकता, बशर्ते कुछ मानदंडों को पुरा करनेवाले भारतीय कानून और संविधान में मूलभूत विश्वास से जुडी हुई है। यही विश्वास नागरिकता को आश्वस्त करता है। CAB/CAA, 2019 और आगामी NPR & NCR के माध्यम से 'विभाजन और शासन' जैसी ब्रिटिश नीति राजकीय हेतु के लिये अपनायी जा रही है। 'कौन भारतीय है और कौन नहीं' यह निर्णय लेने का अधिकार दस्तावेज के जरिये प्रशासन और सरकार पर सोंपा जायेगा, इस बात का गहरा अर्थ हमे समझना जरूरी है। क्योंकि इससे सामाजिक संघर्ष और आघात बढ़ जायेगा।

NPR & NRC कैसा होगा और यह क्यों किया जा रहा है?

1. अखिल भारतीय NRC की क्यो जरूरत है?

भारत में गैरकानूनी तरीके से रहने वाले लोगों की संख्या को पुष्टि देने के लिये सरकार के पास किसी तरह का व्यापक अभ्यास नहीं है। आधिकारिक संख्या न होने के बावजूद NRC का आधार क्या है? पहले जहाँ रेशन कार्ड होते थे वहाँ अब आधार कार्ड है। तो फिर अब भारतीयों को इसी तरह के और एक प्रक्रिया से क्यों गुजरना पडेगा?

2. किन दस्तावेज की पूर्ती करनी होगी?

जिस देश में 58 फिसदी जन्म रजिस्टर नही होते, 20 फिसदी बच्चे शिक्षा से वंचित रहते है और 30 फिसदी जनसंख्या रोजगार के लिये दुसरे राज्य में पलायन करती है, इन सब के लिये दस्तावेज एक विशेषाधिकार जैसे है। आप 40–50 साल पहले अपने पूर्वजों का होना और अपने जन्म को कैसे साबित करेंगे? खास तौर पर महिलाओं को इस तरह से साबित करना कठीन हो सकता है। आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ती करने के लिये लाखों लोग सरकारी दफ्तर, अस्पताल, जिला केंद्र के बाहर कतार में खडे है यह दृश्य एक बुरे सपने के बराबर है। सरकार कई साल इस के अलावा कुछ नही कर सकेगी। आसाम की तरह हम भी सब दस्तावेजध कागजों की पूर्ती के लिये कतार में रहेंगे।

3. 'कट ऑफ डेट' क्या होगी?

कट ऑफ डेट का मतलब, आप और आपके पुरखों के भारत की जमीन पर दाखिल होने की तारीख साबित करना यह है। असम और सिर्फ असम के लिये (असम समझोता के अनुसार) यह तारीख 1971 थी। और उर्वरीत भारत के लिये क्या 1987 होगी या 1950? सत्तर साल पुराने दस्तावेज की पुष्टी की कल्पना कीजिए।

4. कितना खर्चा होगा?

अब हम 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था संकट के कगार पर होने की बात कर रहै है। पिछले चालीस सालों में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। प्याज के दाम थोक बाजार में आसमान छू रहें है। असाम में 3.20 करोड लोगों के नागरिकता की जांच पडताल के लिये 1,222 करोड खर्च हुए है। यह सिर्फ एक राज्य के आंकडे है। अपने दस्तावेज की पुष्टी करने के लिये परिवारों ने अपने जमिन का तुकडा और संपत्ती बेची है। यह आकडा 44 लाख लोगों के लिये 7,836 करोड से भी ज्यादा है। नागरिकता से वंचित रहे लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिये असम फॉरेनर्स ट्रिब्युनल में लड रहे है। इस कानूनी लडाई के लिये 11,82,000 करोड खर्च होंगे।

भारत ही जनसंख्या 134 करोड है। साधारण अनुमान कहता है की भारत 55 करोड से ज्यादा खर्च नही कर पाएगा। व्यावहारिक तौर पे भारत के बजेट का स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिये प्रावधान सिर्फ 65 करोड है।

सवाल है की अखिल भारतीय एनआरसी का खर्चा क्या भारत उठा पायेगा?

5. क्या सरकार हमारे नागरिकता पर सवाल उठाएगी?

कुछ दस्तावेज के आधार पर देश के 134 करोड लोगों की नागरिकता को अनुमती देने का अधिकार देने का अर्थ है कि संतुलन और नियंत्रण के बिना असामान्य सत्ता, गैर लोकतांत्रिक रूप में प्रदान करना। असम में NRC कार्यान्वित करने की प्रक्रिया सभी हितधारकों (राजनीतिक पक्ष, मान्यवर नागरिक, छात्र संगठन, नागरी समुदाय) के साथ बातचीत करके तय की गई थी, फिर भी उसमे हेर फेर किया गया। क्या पारदर्शी रूप से सार्वजनिक विचार–विमर्श के बिना अखिल भारतीय प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? क्या हम लोकतंत्र में नही रहते है?

6. क्या हमारी नागरिकता पर सवाल उठाने के लिए सरकार पर्याप्त सक्षम है?

हममें से किसके नाम सभी सरकारी पहचान दस्तावेजों में सही तरीके से लिखें गये है? भारत में कौन सा सरकारी विभाग सहानुभूति के साथ अपना कार्य करता है? जिस देश की नौकरशाही और सरकारी कार्यालय प्रणाली अपने रिसावों, भ्रष्टाचार और अक्षमता के लिए जानी जाती है, नागरिकता साबित करने का संवेदनशील कार्य 'सरकारी' व्यवस्था की सदयता पर कैसे छोडा जा सकता है? असम में, सकेन अली को केवल कुछ दस्तावेजों मे उनके नाम के साथ एक अतिरिक्त अक्षर 'h' जोड़ा गया इस कारण से डिटेंशन कैम्प में भेजा गया था। उन्होंने 5 साल अंदर बिताए। सुब्रतो डे की एक कैम्प के अंदर मृत्यु हो गई। भारत के 5 वें राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद का परिवार NRC में सम्मीलित नही हो पाया। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी और कारगिल युद्ध के दिग्गज को भी जमानत पर रिहा होने से पहले एक डिटेंशन कैम्प में भेजा गया था।

7. अगर आपको अखिल भारतीय NRC से बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा?

असम के अनुभव को समझना यहीं इस सवाल का जवाब पानेका एकमात्र तरीका है। असम में संदिग्ध 'विदेशी 'और एनआरसी से बाहर रखे गये लोगों को दंडात्मक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसकी शुरुआत 'विदेशी ट्रिब्यूनल' नामक अर्ध–न्यायिक निकायों से शुरू होती है। ये अधिकरण सार्वजनिक और पत्रकारीय जांच खुला नही हैं और इसकी कार्यप्रणाली अपारदर्शी है। किसी को भी 'विदेशी' घोषित करते का इनका तरीका अक्सर मनमाना होता है। कोई भी मामला वर्षों तक खींचा जा सकता हैं या फिर एक पल में भी फैसला किया जा सकता है। एक बार विदेशी घोषित होने के बाद, आपको एक डिटेंशन कैंप में भेजा जा सकता है। इन निरोध शिविरों में परिवारों को अलग किया जाता हैं और रहने की स्थिति अमानवीय होती है। क्योंकि भारत में अभी तक अवैध प्रवासियों के संबंध में बांग्लादेश के साथ कोई संधि नहीं है, 70 साल की पारबती दास जैसे लोग सालों से अंदर है, धीरे–धीरे टूट रहे है, अनिश्चितता से जूंझ रहें है, अपने प्रियजनों से दूर है, जब वह बांग्लादेशी भी नहीं है!

सवाल यह है कि ऐसा बर्ताव होना उचित है, भले ही इनमें से एक हो?

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत के सामान्य निवासियों को निर्धारित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे करेगी। यह इतना हानिप्रद महसूद नहीं होता है, लेकिन एनपीआर के आधार से अखिल भारतीय NRC तैयार किया जायेगा। डोर टू डोर सर्वे के अंत में सूची में होने वाले नाम घोषित किते जायेंगे। जिन लोगों के नाम एनपीआर में नहीं होंगे, उन्हें इसके खिलाफ अपील करनी होगी और संबंधित दस्तावेज जिला रजिस्ट्रार को पेश करने होंगे, जो उक्त व्यक्ति नागरिक है या नहीं इसका निर्णय लेंगे। तो जब ये सर्वे के लिए हमारे घर पर आएंगे तो यह 'सरकारी' अधिकारी हमसे क्या दस्तावेज लेंगे? रजिस्ट्रार कौनसे दस्तावेजों से संतुष्ट होंगे?

जैसा कि इस सरकार की शैली रही है, अभी तक डोर टू डोर सर्वे की मोडैलिटि अधिसूचित नही की गई है? कौन कौनसे दस्तावेज मांगे जायेंगे? कौनसे दस्तावेज

काम के होंगे, कौनसे नहीं? यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया कैसे कार्यान्वित होगी? किन मानदंडों का उपयोग किया जाएगा?

भारतीय कौन है?

क्या कुछ कागज के टुकड़ों होना हमें भारतीय बनाता है? क्या किसी विशेष धर्म में पैदा होना हमें भारतीय बनाता है? क्या किसी एक राजनीतिक विचारधारा पर विश्वास हमें दूसरों से अधिक भारतीय बनाता है? कौन तय करता है कि कौन भारतीय है?

प्राचीन सभ्यता का गर्व करने वाले हमारे समाज में, भाषा, रंग और स्वाद हर कुछ मील की दूरी पर पूरी तरह से बदल जाते हैं, जहां जहां इस दुनिया के कुछ महान दर्शन ना की केवळ पैदा बल्कि कई सदियों तक विचार–विमर्श में रहे हैं, क्या नागरिकता की संकुचित परिभाषाएँ सही है। कोई भी एक विचार भारत की परिकल्पना होने का दावा नहीं कर सकती है। कौन भारतीय है और कौन नहीं यह तय करने के लिए कोई एकल परिभाषा मौजूद नहीं हो सकती है।

हमें आपका समर्थन info@cjp.org.in पर भेजें या हमसे 7506661171 पर संपर्क करें।

Twitter : @cjpindia
Instagram : @cjpindia
Facebook : facebook.com/cjpindia